12.12.24

पत्रावली पेशी में ली गई। अप्रार्थी की तलबी जरिये रजि. डाक करवाई जा चुकी है। बार बार आवाज लगाई गई हाजिर नहीं आने के कारण इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अधिवक्ता प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। हकों का निर्धारण मूल वाद में तय होना है जिसमें उभय पक्ष प्रभावी पैरवी कर सकते है। दिनांक 29.4.24 को जारी स्थगन ता-फैसला दावा कन्फर्म किए जाने से किसी पक्ष को नुकसान नहीं है अपितु उभयपक्षों में आगे विवाद न बढने मे सहायक ही होगा। अतः उपर्युक्त विवेचन के स्वरूप दिनांक 29.4.2024 को जारी स्थगन आदेश ता- फैसला मूल वाद के कन्फर्म किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली नंबर से काम की जाकर [illegible] दफ्तर की जाती है।

सहायक कलक्टर
उपखण्डाधिकारी
[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.12.27 13:29:19 IST
Reason: SelfAttested